आचार-संहिता

- प्रत्येक विद्यार्थी–प्राचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों और अपने सहपाठियों से शालीन एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत अपने विद्या अध्ययन में लगायेंगे साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में पूर्णतः सहयोग करेगें।
- महाविद्यालय अर्थात् भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेंगे। महाविद्यालय की सम्पत्ति अर्थात् भवन साज–सज्जा, विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुचायेंगे।
- विद्यार्थी अपनी कठिनाई के लिये हिंसा आंदोलन या आतंक का मार्ग नहीं अपनायेंगे।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित करना वर्जित है।
- विद्यार्थी को यदि कठिनाई हो तो वे प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक–अभिभावक से संपर्क करें किन्तु बाहरी तत्वों, समाचार पत्रों को माध्यम न बनाये।
- विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे यदि ऐसा हुआ तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या करने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- महाविद्यालय एवं छात्रावास की सीमाओं में धूम्रपान, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।